F-F

अति महत्वपूर्ण/अति आवश्यक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः–एस.पी.एम.यू./एन.यू.एच.एम./2014–15/03/2815-75 दिनांक 20.09.2014

विषयः–राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन हेतु अवमुक्त धनराशि के व्यय हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

भारत सरकार ने वर्ष 2013–14 की राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के 83 शहरों में 100 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवनों में स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है तथा एन.आर.एच.एम. के अरबन आर.सी.एच. कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 115 अरबन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रुप में परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

चिन्हित 83 शहरों में 100 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 115 अरबन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रुप में परिवर्तित किया जाना है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि को राज्य कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2014–15 में उपयोग किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। एन0यू0एच0एम0 की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के खाते के आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत निम्न मदों की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

FMR Code No. 3.1- Orientation of Urban local bodies: इस मद में संलग्न फॉट के अनुसार

- 10 लाख से अधिक शहरी जनसंख्या वाले 07 शहरों हेतु रू0 3,00,000/– प्रति शहर की दर से धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- 01 लाख से अधिक शहरी जनसंख्या वाले 57 शहरों/कस्बों हेतु रू0 1,00,000/– प्रति शहर की दर से धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- 01 लाख से कम शहरी जनसंख्या वाले 19 शहरों/कस्बों हेतु रू0 50,000/– प्रति शहर की दर से धनराशि अवमुक्त की गयी है।

Urban local bodies के Orientation हेतु भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में शीघ्र ही विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

FMR Code No. 4- Strengthening of Health Services.

FMR Code No. 4.1- Outreach Services: इस मद में Urban Health & Nutrition Day (UHND) and outreach camps के आयोजन हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।

FMR Code No. 4.1.1- Urban Health & Nutrition Day (UHND): शहरी मलिन बस्तियों में ए0एन0एम0 द्वारा 4 UHND प्रति माह आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक UHND के आयोजन हेतु रू0 250/– प्रति UHND की दर से धनराशि अवमुक्त की गयी है।

251

FMR Code No. 4.1.2- Outreach Camps: शहरी क्षेत्रों विशेषकर मलिन बस्तियों में प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में 03 Outreach Camps प्रति माह आयोजित किये जायेंगे जिसके लिए रू0 10,000/– प्रति Outreach Camp की दर से धनराशि अवमुक्त की गयी है।

FMR Code No. 4.1-Outreach Services मद में Urban Health & Nutrition Day and outreach camps के आयोजन हेतु अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में शीघ्र ही दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे है।

FMR Code No. 4.2 - ANM/LHV : इस मद में संलग्न फॉट के अनुसार संविदा ए0एन0एम0 के मानदेय एवं Mobility Support मद में धनराशि अवमुक्त की गयी है।

FMR Code No. 4.2.1- Salary Support for ANM : इस मद में संलग्न फॉट के अनुसार संविदा ए0एन0एम0 के मानदेय हेतु रू0 9900/– प्रति माह प्रति ए0एन0एम0 की दर से कुल 03 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।

FMR Code No. 4.2.2- Mobility Support to ANM : इस मद में संलग्न फॉट के अनुसार संविदा ए0एन0एम0 को Outreach Services के लिए मोबिलिटी हेतु रू0 500/– प्रति माह प्रति ए0एन0एम0 की दर से कुल 03 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है। ए0एन0एम0 द्वारा इस धनराशि का उपयोग यू0एच0एन0डी0 एवं आउटरीच कैम्प में क्षेत्र में जाने के लिए किराये अथवा पी0ओ0एल0 (यदि एन.एन.एम. के पास अपना वाहन हो) मद में किया जायेगा। किराये एव पी0ओ0एल0 की रसीद को ए0एन0एम0 द्वारा सुरक्षित रखा जाय तथा ए0एन0एम0 द्वारा अपने क्षेत्रीय भ्रमण हेतु पृथक से रजिस्टर का रख–रखाव किया जाय जिसको समय–समय पर प्रभारी चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 द्वारा सत्यापित किया जाय।

FMR Code No. 4.3.3- Operating Cost Support for running U-CHC :

FMR Code No. 4.3.3.1- Human Resource : इस मद में 100 नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं पूर्व से अरबन आर0सी0एच0 कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित चिन्हित 115 अरबन हेल्थ पोस्ट के सुदृढ़ीकरण हेतु संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।

FMR Code No. 4.3.3.1.1 – Medical Officer Salary: इस मद में 100 नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संविदा पर तैनात Full time basis चिकित्सकों के मानदेय हेतु धनराशि स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत संलग्न फॉट के अनुसार रू0 36000/– प्रति माह प्रति संविदा चिकित्सक की दर से कुल 03 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।

FMR Code No. 4.3.3.1.2 – Salary of Paramedical & Nursing Staff:

- **Staff Nurse:** इस मद में 100 नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 02 स्टाफ नर्स/प्रति नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पूर्व से संचालित 115 अरबन हेल्थ पोस्ट हेतु 01 स्टाफनर्स/प्रति अरबन हेल्थ पोस्ट हेतु धनराशि स्वीकृत है, जिनके अन्तर्गत संलग्न फॉट के अनुसार स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु रू0 16500/–प्रति माह प्रति स्टाफनर्स कुल 03 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- **Lab Technician :** इस मद में 100 नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 01 Lab Technician प्रति नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पूर्व से संचालित 115 अरबन हेल्थ पोस्ट हेतु 01 Lab Technician प्रति अरबन हेल्थ पोस्ट के मानदेय हेतु धनराशि स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत संलग्न फॉट के अनुसार रू0 11800/– प्रति माह प्रति Lab Technician की दर से कुल 03 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- **Pharmacist:** इस मद में 100 नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 01 Pharmacist प्रति नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पूर्व से संचालित 115 अरबन हेल्थ पोस्ट हेतु 01 Pharmacist

प्रति अरबन हेल्थ पोस्ट की दर से धनराशि स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत संलग्न फॉट के अनुसार रू0 16500/– प्रति माह प्रति Pharmacist की दर से कुल 03 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।

FMR Code No. 4.3.3.1.3 – Salary of Support Staff: इस मद में 100 नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु प्रत्येक नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 03 Support Staff (01 आया, 01 वार्ड ब्वाय तथा 01 स्वीपर कम चौकीदार) की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनके मानदेय हेतु रू0 14000/–प्रति माह प्रति 03 Support Staff की दर से कुल 03 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।

संविदा कर्मियों का मानदेय उनकी नियुक्ति की तिथि से आहरित किया जायेगा।

उपरोक्त मानव संसाधन के चयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश एवं टी0ओ0आर0 परिवार कल्याण महानिदेशालय के पत्र संख्या–प.क./एन.यू.एच.एम./एच.आर.–दिशा–निर्देश/2014–15 दिनांक 27.05.2014 के माध्यम से निर्गत किये जा चुके है। पत्र में वर्णित नियमों का पालन करते हुए मानव संसाधन के चयन की कार्यवाही पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र पर इकाईवार संविदा कर्मियों की तैनाती के विवरण (फोटो सहित) की हस्ताक्षरित प्रति एस0पी0एम0यू0 के एन0यू0एच0एम0 अनुभाग में उपलब्ध करायें, जिससे कि मानव संसाधन का विवरण एन0यू0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

FMR Code No. 4.3.3.1.5 – Office Expanses for 100 New U-CHC : इस मद में 100 नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बिजली, टेलीफोन बिल, दैनिक उपयोग की सामग्री, ओ0पी0डी0 एवं रेफरल स्लिप, स्टेशनरी तथा अन्य कन्टीनजेन्सी हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, इसमें विद्युत एवं टेलीफोन का वास्तवित बिल के अनुसार भुगतान किया जाये तथा अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री एवं स्टेशनरी इत्यादि हेतु आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाय। समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय तथा समय–समय पर नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 द्वारा बिलों का सत्यापन भी किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि बिलों के भुगतान के अभाव में बिजली एवं दूरभाष बिच्छेद न हो। समस्त नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दूरभाष क्रियाशील करायें। इस मद में रू0 7000/– प्रति माह प्रति नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से कुल 03 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है

FMR Code No. 4.3.3.2 – Others (Hiring of Premises) : 100 नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को किराये के भवनों में संचालित किये जाने हेतु भवन किराया रू0 15000/– प्रति माह प्रति नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से कुल 03 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है। भवनों के किराये की रसीद को सुरक्षित रखा जाय तथा समय–समय पर नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 द्वारा सत्यापन किया जाये। जिला स्वास्थ्य समिति एवं गृह स्वामी के मध्य सम्पन्न अनुबन्ध की प्रति एस0पी0एम0यू0 के एन0यू0एच0एम0 अनुभाग में उपलब्ध करायी जाये।

100 नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के किराये के भवनों में संचालन हेतु परिवार कल्याण महानिदेशालय तथा एस0पी0एम0यू0 स्तर से विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

FMR Code No. 4.4- Urban CHC:

FMR Code No. 4.4.1- Capital Cost Support for New U-CHC: इस मद में लखनऊ शहर में पूर्व से संचालित 08 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृहों पर सी0एस0आर0 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी एम्बूलेन्स के ऑपरेशनल व्यय हेतु रू0 20,000/– प्रति माह प्रति एम्बुलेन्स की दर से कुल 03 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस धनराशि में एम्बुलेन्स हेतु पी0ओ0एल0 तथा संविदा ड्राइवर का मानदेय सम्मिलित है। प्रत्येक एम्बुलेन्स हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा ड्राइवर का नियमानुसार चयन कर ले। इन एम्बुलेन्स का उपयोग लाभार्थी को अन्य चिकित्सालय में सन्दर्भन हेतु किया जायेगा। मलिन बस्ती में स्थित अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा रोगियों के सन्दर्भन

२५९

एम्बुलेन्स माँगे जाने पर सम्बन्धित बाल महिला चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षिका द्वारा एम्बुलेन्स सेवाएं उपलब्ध करायी जायेगी। उपयोग की गयी एम्बुलेन्स की लॉग–बुक में नियमित रूप से प्रविष्टि की जायेगी, जिसे सम्बन्धित बाल महिला चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षिका द्वारा सत्यापित किया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाये कि एम्बुलेन्स का नियमानुसार उपयोग किया जाये, जिससे कि मलिन बस्तियों के रोगियों को निःशुल्क सन्दर्भन सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

FMR Code No. 4.4.2- Human Resource (Specialist)for U-CHC: इस मद पूर्व से संचालित 08 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह पर अतिरिक्त मानव संसाधन के रूप में संविदा विशेषज्ञ की तैनाती हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह पर 01 रेडियोलॉजिस्ट, 01 फिजीशियन एवं 01 एनेस्थेटिस्ट की संविदा पर तैनाती की जानी है, जिसके लिए विस्तृत दिशा–निर्देश एवं टी0ओ0आर0 परिवार कल्याण महानिदेशालय स्तर से निर्गत किये जा रहे है। प्रत्येक संविदा विशेषज्ञ हेतु रू0 48,000/– प्रति माह प्रति संविदा विशेषज्ञ की दर से कुल 03 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।

सुपरविजन एवं मॉनीटरिंग: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रत्येक जनपद में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 नामित किये गये है, जिनके द्वारा नियमित रूप से समस्त गतिविधियों की मॉनीटरिंग एवं सुपरविजन किया जायेगा तथा मानव संसाधन, औषधि, उपकरण, फर्नीचर, एवं अन्य लॉजिस्टिक की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। जनपद स्तर पर अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त इकाइयां नियमित रूप से संचालित हो तथा प्राविधानित मानव संसाधन एवं सुविधाओं का समुचित उपयोग हो सके।

वित्तीय व्यवस्था:

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायगा। जिस कार्यकम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यकम की धनराशि दूसरे कार्यकमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेख को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित गाइडलाइन्स फार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
5. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के संचालन हेतु संलग्न फॉट के अनुसार सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल में धनराशि अवमुक्त की गयी है। उपरोक्त निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत नियमानुसार व्यय कर

(२५8)

गतिविधियां सम्पन्न करायें एवं प्रत्येक माह की एफ.एम.आर. में एफ.एम.आर. कोड नं0 के अनुसार गतिविधिवार व्यय धनराशि को अंकित कर रिपोर्ट एस0पी0एम0यू0 कार्यालय में प्रेषित करें।

संलग्नकः बजटशीट, व्यय–विवरण प्रपत्र।

भवदीय

19/9/14

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

2815-75-11

पत्र संख्याः–एस.पी.एम.यू. / एन.यू.एच.एम. / 2014–15 / 03 / तद्दिनांक

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को प्रमुख सचिव, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. संयुक्त निदेशक, नगरीय, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त निदेशक, सी.एच.सी. पी.एच.सी. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
10. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 उत्तर प्रदेश।

19/9/14

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

247

वित्तीय निर्देश बिन्दु

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्निविनयोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

NUHM Division proposal as per approved ROP (2013-14)

S.No	District	Total Budget (in Lakhs)
1	Agra	87.39
2	Aligarh	44.12
3	Allahabad	63.72
4	Bareilly	47.81
5	Bijnor	7.79
6	Budaun	7.35
7	Bulandshahar	21.31
8	Etawah	14.57
9	Farrukhabad	15.67
10	Firozabad	40.68
11	GB Nagar (Noida)	51.57
12	Ghaziabad	127.47
13	Gorakhpur	26.2
14	Hapur	13.08
15	Hardoi	11.03
16	Jalaun (Orai)	13.27
17	Jhansi	19.17
18	J.P. Nagar (Amroha)	13.27
19	Kannauj	7.04
20	Kanpur Nagar	182.27
21	Kheri	12.25
22	Lucknow	210.54
23	Mathura	19.96
24	Mau	15.67
25	Meerut	74.63
26	Moradabad	34.26
27	Muzaffarnagar	19.09
28	Rae Bareli	13.27
29	Rampur	17.04
30	Saharanpur	31.71
31	Shahjhanpur	14.38
32	Sitapur	15.59
33	Unnao	12.93
34	Varanasi	42.56
35	Ambedkarnagar (including Tanda)	15.86
36	Amethi (HQ)	0.84
37	Auraiya	4.8
38	Azamgarh	6.32
39	Baghpat	12.75
40	Bahraich	11.03
41	Ballia	8.63
42	Balrampur	4.8

--2

NUHM Division proposal as per approved ROP (2013-14)

S.No	District	Total Budget (in Lakhs)
43	Banda	7.69
44	Barabanki	4.8
45	Basti	6.32
46	Chandauli-Mughal sarai	8.63
47	Chitrakoot	4.11
48	Deoria	6.66
49	Etah	8.98
50	Faizabad	9.93
51	Fatehpur	11.03
52	Ghazipur	6.66
53	Gonda	6.32
54	Hamirpur-Rath	8.63
55	Hathras	9.66
56	Jaunpur	11.03
57	Kanpur Dehat	1.18
58	Kasganj	8.63
59	Kaushambi	3.09
60	Kushinagar	3.77
61	Lalitpur	9.66
62	Maharajganj	3.43
63	Mahoba	5.14
64	Mainpuri	9.25
65	Mirzapur	12.4
66	Pilibhit	9.32
67	Pratapgarh	4.45
68	Sambhal	20.35
69	Sant Kabir Nagar	3.77
70	Bhadohi	5.14
71	Shamli	8.63
72	Shrawasti	0.84
73	Siddarthnagar	3.09
74	Sonabhadra	3.43
75	Sultanpur	5.98
		1645.69